संख्या-3/2019/385/39-4-2019-5(8)/18

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
उ0प्र0 सतर्कता आयोग एवं प्रशासनिक न्यायाधिकरण,
लखनऊ।

सतर्कता अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक : 05 अप्रैल, 2018

विषय- उ0प्र0 सतर्कता आयोग एवं प्रशासनिक न्यायाधिकरण के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राविधानित आय-व्ययक के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 (छायाप्रति संलग्न) के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए संविधान के अनुच्छेद-204 के अनुसार विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान एवं राज्य की समेकित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित धनराशियों के राज्य की समेकित निधि में से विनियोग के उपबन्ध, उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2019 (अधिनियम संख्या-3 सन् 2019) से प्राधिकृत हो चुका है। अतः अनुदान संख्या-82 के लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-104-सतर्कता-03-उ0प्र0 सतर्कता आयोग एवं प्रशासनिक न्यायाधिकरण (मतदेय) के मदों के अन्तर्गत रू0 4,03,54,000/- **(रूपये चार करोड़ तीन लाख चौवन हजार मात्र)** की धनराशि को व्यय हेतु श्री राज्यपाल महोदय आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिसका मदवार विवरण निम्नवत् है :-

क्र0	मदें	धनराशि (रूपये लाख में)
(1)	(2)	(3)
1	01-वेतन	283.59
2	03-महँगाई भत्ता	42.54
3	04-यात्रा व्यय	3.00
4	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	3.50
5	06-अन्य भत्ते	6.73
6	07-मानदेय	0.10
7	08-कार्यालय व्यय	2.50
8	09-विद्युत देय	0.30
9	11-लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	0.50
10	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2.00
11	13-टेलीफोन पर व्यय	2.50
12	15-गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	5.00
13	42-अन्य व्यय	0.50
14	45-अवकाश यात्रा व्यय	0.50

http://shasanadesh.up.nic.in

15	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1.00
16	49-चिकित्सा व्यय	5.00
17	51-वर्दी व्यय	0.20
18	52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	15.00
19	55-मकान किराया भत्ता	25.74
20	56-नगर प्रतिकर भत्ता	3.34
	योग	**403.54**

2- उक्त व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22.03.2019 एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशों को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा तथा यात्रा-व्यय, कार्यालय व्यय, मोटर गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद तथा टेलीफोन पर व्यय की मदों में निर्दिष्ट सीमा तक सीमित रखा जायेगा। गुड्स एण्ड प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल के प्राविधानों तथा इस विषय पर समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

3- उपर्युक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में प्रदर्शित अनुदान संख्या-82 के लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-104-सतर्कता-03-उ0प्र0 सतर्कता आयोग एवं प्रशासनिक न्यायाधिकरण (मतदेय) के अन्तर्गत सुसंगत लेखाशीर्षक/मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

4- उक्त आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

अरविन्द कुमार

प्रमुख सचिव।

संख्या-385(1)/39-4-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।

(2) कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(3) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

(5) अनुभागीय गार्ड बुक/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी।

(6) कम्प्यूटर सहायक को शासनादेश अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से

गिरीश चन्द्र मिश्र

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in